

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली पाली

प्रार्थीगण:-

मदनसिंह पुत्र हिरसिंह जाति राजपुत  
निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी  
तह. देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. ग्राम पंचायत कोटडी तह. देसूरी  
जिला पाली जरिये ग्राम विकास  
अधिकारी ग्रा.प. कोटडी प.स.देसूरी
2. कन्या पत्नी नगराम जाति प्रजापत  
निवासी कोटडी तह. देसूरी पाली

किस्म मुकदमा : पंचायत निगरानी संख्या : 240/2024

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : (2024/269 )

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	संख्या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
19.03.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">N अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली</p>	<p>क्र. 576 दि. 19/03/24 को नोटिस जारी।</p>
22/5/24	<p>पजावती उल्लूत हुई। प्रार्थी मय अतिरिक्त उपस्थित। शर्मिता पज उल्लूत कर निवेदन किया कि अब इस निगरानी को जारी नहीं चलाना चाहते निगरानी खारीज करमाई जावे। उल्लूत निगरानी जरिफ विद्दो खारीज की जाती है। पजावती के फल शुमार होकर तम्बर के कप्त हो। निर्णय शुतलफा गपग।</p> <p style="text-align: center;">N 22/5/24 अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	<p>शर्मिता पज N Kaw</p>